नईदुनिया

संपादकीय

पैरोल का प्रहसनः जब बलात्कारी 'भक्त' बनकर कानून को चुनौती देते हैं

देश की न्याय व्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत उसका नैतिक अधिकार और जनता का विश्वास है। अदालत जब किसी अपराधी को दुष्कर्म और हत्या जैसे जघन्य अपराधों में आजीवन कारावास की सजा सुनाती है, तो यह केवल एक व्यक्ति को दंड देना नहीं होता, बल्कि समाज को यह भरोसा दिलाना होता है कि न्याय जिंदा है। लेकिन जब वही सजायाफ्ता अपराधी पैरोल के नाम पर जेल से बाहर आकर धार्मिक पर्यटन करते दिखाई दें, तो यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या न्याय व्यवस्था का भय और सम्मान केवल कागजों तक सीमित रह गया है।

शंकराचार्य गेट से रामलला के दरबार तक आसाराम का पहुंचना और वहां आधे घंटे तक रुककर दर्शन करना केवल एक साधारण घटना नहीं है। यह उस व्यवस्था के मुंह पर एक खुली चुनौती है, जिसने उसे दुष्कर्म के अपराध में दोषी ठहराकर आजीवन कारावास की सजा दी है। इलाज के नाम पर पैरोल मांगना और फिर उसी दौरान धार्मिक स्थलों की यात्रा करना न्याय व्यवस्था के साथ एक भद्दा मजाक प्रतीत होता है।

आसाराम अकेला उदाहरण नहीं है। राम रहीम भी हत्या और दुष्कर्म जैसे गंभीर अपराधों में सजा काट रहा है, लेकिन समय-समय पर पैरोल लेकर बाहर आता है और सार्वजनिक जीवन में सक्रिय नजर आता है। यह दृश्य समाज के सामने एक विचित्र विरोधाभास खड़ा करता है— एक तरफ अदालतें कठोर सजा सुनाती हैं, दूसरी तरफ वही अपराधी जेल से बाहर घूमते दिखाई देते हैं।

पैरोल का उद्देश्य मानवीय आधार पर अस्थायी राहत देना होता है। गंभीर बीमारी, पारिवारिक संकट या विशेष परिस्थितियों में यह व्यवस्था बनाई गई है। लेकिन जब पैरोल प्रभावशाली अपराधियों के लिए 'आराम और पर्यटन' का साधन बन जाए, तो यह पूरी व्यवस्था पर प्रश्नचिह्न लगा देता है। क्या यह सुविधा केवल उन लोगों के लिए है, जिनके पास धन, प्रभाव और समर्थकों की भीड़ है? देश की जेलों में हजारों सामान्य कैदी ऐसे हैं, जो मामूली अपराधों में सजा काट रहे हैं। उनकी जिंदगी सलाखों के पीछे बीत जाती है, लेकिन उन्हें पैरोल मिलना तो दूर, उनकी अर्जी पर सुनवाई तक नहीं होती। कई परिवार वर्षों तक इंतजार करते रहते हैं कि शायद किसी दिन उनके प्रियजन को कुछ दिनों की राहत मिल जाए। लेकिन जब जघन्य अपराधों में दोषी ठहराए गए लोग बार-बार पैरोल लेकर बाहर दिखाई देते हैं, तो यह न्याय की समानता पर गंभीर सवाल खड़े करता है।

शंकराचार्य गेट से रामलला के दरबार तक आसाराम की मौजूदगी केवल प्रशासनिक ढिलाई नहीं है, बल्कि यह उस संवेदनशील मुद्दे को छूती है, जहां कानून और आस्था आमने-सामने खड़े दिखाई देते हैं। आस्था का सम्मान होना चाहिए, लेकिन क्या आस्था के नाम पर अदालत की सजा को हल्का किया जा सकता है? क्या दुष्कर्म और हत्या जैसे अपराधों में दोषी ठहराए गए व्यक्ति को धार्मिक मंचों पर सम्मानित उपस्थिति का अवसर मिलना चाहिए? इस तरह की घटनाएं समाज को खतरनाक संदेश देती हैं। जब प्रभावशाली अपराधी कानून की सीमाओं को लांघते हुए दिखाई देते हैं, तो आम नागरिक के मन में यह धारणा बनने लगती है कि न्याय व्यवस्था दो हिस्सों में बंटी हुई है— एक ताकतवर लोगों के लिए और दूसरी आम नागरिक के लिए।

जरूरत इस बात की है कि पैरोल की प्रक्रिया को सख्त, पारदर्शी और जवाबदेह बनाया जाए। विशेषकर दुष्कर्म और हत्या जैसे जघन्य अपराधों में सजा पाए कैदियों के लिए पैरोल अपवाद होनी चाहिए, न कि एक नियमित सुविधा। अगर इलाज के आधार पर पैरोल दी जाती है, तो उसका उपयोग केवल इलाज तक सीमित रहना चाहिए। न्याय व्यवस्था की गरिमा तभी बची रह सकती है, जब कानून का डंडा सब पर बराबर चले। वरना यह सवाल और भी तेज आवाज में उठेगा— क्या हमारे देश में न्याय वास्तव में अंधा है, या फिर वह ताकतवरों के सामने आंखें मूंद लेता है?

आजकल

अंजना हत्याकांडः सीबीआई जांच से न्याय की उम्मीद

मध्य प्रदेश के सागर जिले के ग्राम बरोदिया नोनागिरी से जुड़ा अंजना हत्याकांड पिछले कुछ वर्षों से लगातार विवाद और सवालों के केंद्र में रहा है। इस मामले में आरोप है कि स्थानीय स्तर पर प्रभावशाली लोगों के दबाव के कारण पुलिस ने निष्पक्ष जांच नहीं की। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश देकर मामले को नया मोड़ दे दिया है।

इस पूरे प्रकरण की शुरुआत वर्ष 2019 में अंजना के साथ कथित छेड़छाड़ की घटना से हुई थी। आरोप है कि उस समय पुलिस ने गंभीर धाराएं लगाने में ढिलाई बरती और मामले को दबाने की कोशिश की। इसके बाद पीड़ित परिवार को लगातार धमकियों और हमलों का सामना करना पड़ा।

स्थिति तब और गंभीर हो गई जब 2023 में अंजना के भाई नितिन की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। इसके बाद 2024 में उनके चाचा राजेंद्र की भी हत्या कर दी गई। सबसे चौंकाने वाली घटना तब सामने आई जब एंबुलेंस में शव ले जाते समय मुख्य गवाह अंजना की भी मौत हो गई। प्रारंभिक स्तर पर इसे दुर्घटना बताने की कोशिश की गई, लेकिन पोस्टमार्टम में उसके शरीर पर कई चोटें और सिर में गंभीर फ्रैक्चर पाए जाने से संदेह और गहरा गया।

लगातार उठते सवालों और स्थानीय पुलिस की जांच पर अविश्वास के कारण मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। अदालत की पीठ ने मध्य प्रदेश पुलिस की जांच थ्योरी को खारिज करते हुए सीबीआई जांच के आदेश दिए। अदालत ने माना कि मामले में निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करना आवश्यक है।

ईरान-अमेरिका-इज़रायल तनाव में चीन और रूस की भूमिका

सैटेलाइट जानकारी और रणनीतिक समर्थन का नया आयाम

मध्य-पूर्व लंबे समय से वैश्विक राजनीति और सैन्य रणनीति का केंद्र रहा है। हाल के वर्षों में ईरान, अमेरिका और इज़रायल के बीच बढ़ते तनाव ने इस क्षेत्र को फिर से अंतरराष्ट्रीय चर्चा के केंद्र में ला दिया है। इन तनावों के बीच एक नई और दिलचस्प बात सामने आई है— सैटेलाइट तस्वीरों और सैन्य गतिविधियों से जुड़ी जानकारी का इंटरनेट और सोशल मीडिया पर तेजी से प्रसार। इन तस्वीरों के आधार पर यह दावा किया जा रहा है कि चीन और रूस पर्दे के पीछे से ईरान को महत्वपूर्ण रणनीतिक सहायता दे रहे हैं। इससे मध्य-पूर्व की शक्ति संतुलन की राजनीति और अधिक जटिल होती दिखाई दे रही है।

फरवरी के आसपास इंटरनेट और विशेष रूप से चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर कुछ सैटेलाइट तस्वीरें तेजी से वायरल हुईं। इन तस्वीरों में अमेरिकी सैन्य गतिविधियों, विमान वाहक पोतों की तैनाती और मिसाइल रक्षा प्रणालियों की जानकारी दिखाई जा रही थी। बताया गया कि ये तस्वीरें शंघाई स्थित एक विश्लेषण समूह 'मिराज विजन' द्वारा साझा की गई थीं।

इन तस्वीरों में भूमध्य सागर में तैनात अमेरिकी विमान वाहक पोतों के डेक पर मौजूद फाइटर जेट स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। इसके अलावा खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों, मिसाइल रक्षा प्रणालियों और सैनिक गतिविधियों को भी चिन्हित किया गया था। तस्वीरों के साथ जो विवरण साझा किए गए थे, वे मंडारिन चीनी भाषा में लिखे हुए थे, जिससे यह चर्चा और तेज हो गई कि चीन इस जानकारी के प्रसार में सक्रिय भूमिका निभा रहा है।

इन सैटेलाइट तस्वीरों में केवल इज़रायल ही नहीं, बल्कि कई अन्य देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भी चिन्हित किया गया था। इनमें कतर, जॉर्डन और बहरीन जैसे देशों में स्थित अमेरिकी बेस शामिल बताए गए। इन स्थानों पर मौजूद एयरबेस, मिसाइल रक्षा प्रणाली और लॉजिस्टिक केंद्रों को विशेष रूप से हाइलाइट किया गया था।

विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह की जानकारी यदि वास्तविक समय के करीब हो, तो यह किसी भी सैन्य संघर्ष में रणनीतिक लाभ दे सकती है। यदि ईरान को इन सैन्य गतिविधियों की सटीक जानकारी मिलती है, तो वह अपनी रक्षा रणनीति को उसी के अनुसार तैयार कर सकता है।

तस्वीरों में इज़रायल के सैन्य एयरबेस पर मौजूद उन्नत लड़ाकू विमानों का भी उल्लेख किया गया था। रिपोर्टों में कहा गया कि इज़रायल के एयरबेस पर उन्नत स्टेल्थ फाइटर जेट की तैनाती देखी गई है। इसके अलावा खाड़ी क्षेत्र में भी सैन्य गतिविधियों में वृद्धि दिखाई गई। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर विमानों और सपोर्ट सिस्टम की बढ़ती तैनाती को भी इन तस्वीरों में दर्शाया गया था। इससे यह संकेत मिलता है कि क्षेत्र में संभावित सैन्य कार्रवाई की तैयारी चल रही है या कम से कम सैन्य सतर्कता का स्तर काफी बढ़ा दिया गया है।

इन घटनाओं के बाद यह चर्चा तेज हो गई कि चीन और रूस अप्रत्यक्ष रूप से ईरान को समर्थन दे रहे हैं। यह समर्थन सीधे सैन्य हस्तक्षेप के रूप में नहीं, बल्कि रणनीतिक जानकारी, तकनीकी सहायता और कूटनीतिक समर्थन के रूप में देखा जा रहा है।

यदि किसी देश को विरोधी की सैन्य गतिविधियों की सटीक जानकारी मिल जाए, तो वह अपनी रक्षा व्यवस्था को मजबूत कर सकता है। इस दृष्टि से सैटेलाइट तस्वीरें और ओपन-सोर्स इंटेलिजेंस आधुनिक युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

रूस और चीन दोनों ही लंबे समय से अमेरिका की वैश्विक सैन्य नीतियों की आलोचना करते रहे हैं। ऐसे में यदि वे ईरान को अप्रत्यक्ष रूप से सूचना सहायता दे रहे हैं, तो यह उनके व्यापक भू-राजनीतिक हितों के अनुरूप माना जा सकता है। आज के दौर में युद्ध केवल हथियारों से नहीं लड़े जाते, बल्कि सूचना और तकनीक भी उतनी ही महत्वपूर्ण हो गई है। इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से सैन्य गतिविधियों से जुड़ी जानकारी तेजी से फैल सकती है। कई बार यह जानकारी ओपन-सोर्स सैटेलाइट इमेजरी से भी प्राप्त की जाती है, जिसे आमतौर पर व्यावसायिक कंपनियां उपलब्ध कराती हैं।

इस तरह की जानकारी का विश्लेषण करके विभिन्न देश अपने विरोधियों की रणनीति को समझने की कोशिश करते हैं। इसलिए कई विशेषज्ञ इसे 'सूचना युद्ध' का हिस्सा मानते हैं, जहां डेटा, इमेजरी और डिजिटल विश्लेषण सैन्य शक्ति के बराबर महत्व रखते हैं।

अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने अक्सर इस बात पर चिंता जताई है कि संवेदनशील सैन्य जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध हो रही है। हालांकि कई बार यह जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सैटेलाइट डेटा से ही निकाली जाती है, जिसे पूरी तरह नियंत्रित करना मुश्किल होता है। अमेरिकी रक्षा तंत्र लगातार इस बात पर काम करता है कि उसकी सैन्य गतिविधियों की गोपनीयता बनी रहे। फिर भी आधुनिक तकनीक और व्यावसायिक सैटेलाइट सेवाओं के कारण यह चुनौती पहले से कहीं अधिक जटिल हो गई है। मध्य-पूर्व की राजनीति पहले से ही कई शक्तियों के प्रभाव का केंद्र रही है। अमेरिका और इज़रायल जहां एक ओर सुरक्षा और रणनीतिक सहयोग में जुड़े हुए हैं, वहीं दूसरी ओर ईरान अपने क्षेत्रीय प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश करता रहा है। इस परिदृश्य में चीन और रूस की बढ़ती भूमिका एक नया आयाम जोड़ती है। चीन ऊर्जा सुरक्षा और व्यापारिक हितों के कारण इस क्षेत्र में सक्रिय है, जबकि रूस सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर अपनी उपस्थिति बनाए रखना चाहता है।

ईरान, अमेरिका और इज़रायल के बीच बढ़ते तनाव के बीच सैटेलाइट तस्वीरों और सैन्य जानकारी का इंटरनेट पर प्रसार एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है। इन घटनाओं ने यह संकेत दिया है कि आधुनिक संघर्ष केवल पारंपरिक युद्ध तक सीमित नहीं रह गए हैं, बल्कि सूचना और तकनीक भी उनका अहम हिस्सा बन चुके हैं।

यदि वास्तव में चीन और रूस अप्रत्यक्ष रूप से ईरान को रणनीतिक जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं, तो यह वैश्विक शक्ति संतुलन में एक नई स्थिति पैदा कर सकता है। आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि मध्य-पूर्व की राजनीति और अंतरराष्ट्रीय संबंध इस बदलती परिस्थितियों के बीच किस दिशा में आगे बढ़ते हैं।

(नईदुनिया संपादकीय डेस्क)

विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह की जानकारी यदि वास्तविक समय के करीब हो, तो यह किसी भी सैन्य संघर्ष में रणनीतिक लाभ दे सकती है। यदि ईरान को इन सैन्य गतिविधियों की सटीक जानकारी मिलती है, तो वह अपनी रक्षा रणनीति को उसी के अनुसार तैयार कर सकता है।

मुख्यमंत्री के निर्देश और मंत्रियों की जिम्मेदारीः प्रभार के जिलों से दूरी क्यों

मध्यप्रदेश में जब डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में सरकार का गठन हुआ, तब शासन-प्रशासन की कार्यशैली को अधिक जनोन्मुखी और जवाबदेह बनाने की बात प्रमुखता से कही गई थी। इसी सोच के तहत मुख्यमंत्री ने मंत्रियों और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि वे अपने प्रभार वाले जिलों का नियमित दौरा करें, वहां रात्रि विश्राम करें, गांवों में रुककर आम जनता और कार्यकर्ताओं से संवाद करें तथा प्रशासनिक बैठकों के माध्यम से विकास कार्यों की समीक्षा करें। मुख्यमंत्री की मंशा साफ थी कि शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और जमीनी स्तर पर समस्याओं का त्वरित समाधान हो सके।

लेकिन पिछले लगभग 18 महीनों के दौरान सामने आ रही चर्चाओं और आंकड़ों से यह संकेत मिलता है कि मुख्यमंत्री की इस भावना का अपेक्षित स्तर पर पालन नहीं हो पाया है। कई मंत्री ऐसे बताए जा रहे हैं जिन्होंने अपने प्रभार वाले जिलों में न तो नियमित दौरे किए और न ही वहां रात्रि विश्राम या व्यापक समीक्षा बैठकों में रुचि दिखाई। इससे शासन की निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं।

प्रदेश में प्रभार मंत्री व्यवस्था का उद्देश्य यह था कि हर जिले के लिए एक जिम्मेदार मंत्री नियुक्त किया जाए, जो वहां के प्रशासनिक कामकाज पर सीधी निगरानी रखे। मंत्री समय-समय पर जिले का दौरा करें, विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक करें, योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करें और स्थानीय समस्याओं को समझकर समाधान की दिशा में पहल करें। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा था कि मंत्री और अधिकारी गांवों में जाकर रात्रि विश्राम करें। इसका उद्देश्य केवल औपचारिक दौरा नहीं, बल्कि वास्तविक स्थिति को समझना था। जब कोई मंत्री या वरिष्ठ अधिकारी गांव में रुकता है, तो उसे वहां की समस्याओं, सुविधाओं और जनता की अपेक्षाओं का सीधा अनुभव होता है। इससे निर्णय अधिक व्यावहारिक और प्रभावी बन सकते हैं।

हालांकि, बीते डेढ़ वर्ष में कई प्रमुख मंत्रियों की सक्रियता पर सवाल उठे हैं। उदाहरण के तौर पर उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के बारे में चर्चा है कि उन्होंने अपने प्रभार वाले जबलपुर जिले में अब तक केवल दो बार रात्रि विश्राम किया और एक ही प्रमुख बैठक ली। इसी प्रकार उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने भी अपने प्रभार वाले शहडोल जिले में सीमित दौरे किए और केवल दो बार रात्रि विश्राम तथा बैठक की जानकारी सामने आई है। इसी तरह वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने अपने प्रभार वाले धार जिले में अभी तक रात्रि विश्राम नहीं किया। वहीं राकेश सिंह ने नर्मदापुरम जिले में अभी तक कोई बड़ी समीक्षा बैठक नहीं ली है। इसी प्रकार प्रहलाद पटेल के बारे में चर्चा है कि उन्होंने भिंड जिले में केवल दो बार रात्रि विश्राम किया है। यदि इन चर्चाओं में तथ्यात्मक आधार है, तो यह निश्चित रूप से चिंताजनक स्थिति कही जा सकती है।

किसी भी जिले में शासन की सक्रियता काफी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि वहां के प्रभारी मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी कितने सक्रिय हैं। जब मंत्री नियमित दौरे करते हैं और बैठकों के माध्यम से अधिकारियों से जवाबदेही तय करते हैं, तो प्रशासनिक तंत्र भी अधिक सतर्क रहता है। लेकिन यदि मंत्री ही अपने प्रभार वाले जिलों में कम जाते हैं, तो इसका सीधा असर प्रशासनिक व्यवस्था पर पड़ता है। अधिकारी भी उतनी गंभीरता से योजनाओं की समीक्षा नहीं करते। कलेक्टर, एसपी और अन्य विभागीय अधिकारी तभी अधिक सक्रिय होते हैं, जब उन्हें पता हो कि मंत्री स्तर पर नियमित मॉनिटरिंग हो रही है।

यही कारण है कि कई बार जिलों में व्यवस्थाओं के गड़बड़ाने की शिकायतें सामने आती हैं। योजनाओं का लाभ समय पर नहीं पहुंचता, विकास कार्यों की गति धीमी हो जाती है और जनता की समस्याएं लंबित रह जाती हैं। सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व मॉनिटरिंग यानी निगरानी है। यदि योजनाओं की नियमित समीक्षा नहीं होगी, तो उनका असर भी सीमित रह जाएगा। मुख्यमंत्री की मंशा भी यही थी कि मंत्री जिलों में जाकर जमीनी स्तर पर स्थिति की समीक्षा करें। जब मंत्री स्वयं गांवों में जाकर लोगों से मिलते हैं, तो उन्हें सीधे फीडबैक मिलता है। इससे यह भी पता चलता है कि योजनाएं वास्तव में जमीन पर कितनी प्रभावी हैं। लेकिन यदि यह प्रक्रिया कमजोर पड़ती है, तो शासन और जनता के बीच दूरी बढ़ने लगती है।

किसी भी सरकार की सफलता केवल मुख्यमंत्री की सक्रियता से नहीं होती, बल्कि पूरे मंत्रिमंडल की सामूहिक जिम्मेदारी से होती है। मुख्यमंत्री नीति और दिशा तय करते हैं, लेकिन उसे जमीन पर लागू करने की जिम्मेदारी सभी मंत्रियों और अधिकारियों की होती है।

यदि मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि मंत्री अपने प्रभार वाले जिलों में जाएं, रात्रि विश्राम करें और बैठकों के माध्यम से योजनाओं की समीक्षा करें, तो उसका पालन करना पूरे मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी बनती है।

प्रदेश में प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए शीर्ष स्तर से कड़ाई और अनुशासन भी जरूरी होता है। यदि मंत्री और अधिकारी मुख्यमंत्री के निर्देशों का गंभीरता से पालन करें, तो निश्चित रूप से शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सकता है। डॉ. मोहन यादव सरकार की कई जनकल्याणकारी योजनाएं प्रदेश में संचालित हो रही हैं।

इन योजनाओं का वास्तविक लाभ तभी मिल सकता है, जब उनकी निगरानी मजबूत हो और जमीनी स्तर पर सक्रियता दिखाई दे। यह कहना गलत नहीं होगा कि यदि प्रभार मंत्री नियमित रूप से जिलों का दौरा करें, गांवों में रुकें, जनता और कार्यकर्ताओं से संवाद करें और प्रशासनिक बैठकों के माध्यम से कार्यों की समीक्षा करें, तो शासन की प्रभावशीलता कई गुना बढ़ सकती है। यही वह रास्ता है, जिससे सरकार की योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेंगी और सुशासन की अवधारणा मजबूत होगी।

(नईदुनिया संपादकीय डेस्क)

बच्चों में बढ़ता मोटापा

एक उभरती साइलेंट महामारी

भारत में बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ी चिंताएं पहले कुपोषण और कम वजन तक सीमित मानी जाती थीं, लेकिन अब तस्वीर तेजी से बदल रही है। आज देश एक नई स्वास्थ्य चुनौती का सामना कर रहा है—बचपन में बढ़ता मोटापा। हाल की रिपोर्टों के अनुसार भारत में मोटापा अब बच्चों के बीच 'साइलेंट महामारी' का रूप लेता जा रहा है। यह समस्या धीरे-धीरे बढ़ रही है और इसके परिणाम भविष्य में गंभीर स्वास्थ्य संकट का कारण बन सकते हैं।दुनिया भर में लंबे समय तक बच्चों की सबसे बड़ी स्वास्थ्य समस्या कुपोषण और कम वजन मानी जाती रही है। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस की रिपोर्ट के अनुसार 2025 से 2027 के बीच दुनिया में कम वजन वाले बच्चों की तुलना में मोटापे से पीड़ित बच्चों की संख्या अधिक हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि वैश्विक स्वास्थ्य संकट का केंद्र अब कुपोषण से मोटापे की ओर स्थानांतरित हो रहा है। भारत भी इस बदलती तस्वीर का हिस्सा बन चुका है। बच्चों में मोटापे के मामलों में भारत अब चीन के बाद दुनिया में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। यह स्थिति चिंताजनक है, क्योंकि भारत जैसे देश में अभी भी कुपोषण की समस्या पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है और इसके साथ-साथ मोटापा भी तेजी से बढ़ रहा है।

आंकड़ों के अनुसार भारत में 5 से 19 वर्ष की आयु के लगभग 4.1 करोड़ बच्चे उच्च बॉडी मास इंडेक्स (बीएमआई) के साथ जी रहे हैं। इनमें से करीब 1.4 करोड़ बच्चे मोटापे के शिकार हैं। यह संख्या केवल एक स्वास्थ्य समस्या नहीं, बल्कि आने वाले समय के लिए एक सामाजिक और आर्थिक चुनौती भी है। 2010 से 2025 के बीच भारत में 5 से 19 वर्ष के बच्चों में उच्च बीएमआई के मामलों में लगभग 4.8 प्रतिशत की सालाना वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में भी मोटापा 4.4 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ रहा है। यह संकेत देता है कि समस्या केवल किशोरों तक सीमित नहीं है, बल्कि छोटे बच्चों में भी तेजी से फैल रही है।

बच्चों में बढ़ते मोटापे के पीछे कई कारण जिम्मेदार हैं। सबसे महत्वपूर्ण कारण है शारीरिक गतिविधियों में कमी। आधुनिक जीवनशैली में बच्चों का समय मोबाइल, टीवी, वीडियो गेम और कंप्यूटर के सामने अधिक बीत रहा है। खेल-कूद और शारीरिक गतिविधियों में कमी से शरीर में अतिरिक्त कैलोरी जमा होने लगती है। इसके अलावा खान-पान की आदतों में बदलाव भी एक बड़ा कारण है। फास्ट फूड, पैकेट वाले स्नैक्स, मीठे पेय पदार्थ और जंक फूड का सेवन बच्चों में तेजी से बढ़ा है। ये खाद्य पदार्थ कैलोरी से भरपूर होते हैं, लेकिन इनमें पोषण की मात्रा कम होती है। रिपोर्ट के अनुसार केवल 35.5 प्रतिशत बच्चों को स्कूल में नियमित भोजन मिल पा रहा है। यह स्थिति भी संतुलित पोषण की कमी की ओर संकेत करती है। इसी तरह 1 से 5 माह के लगभग 32.6 प्रतिशत शिशुओं को पर्याप्त स्तनपान नहीं मिल पाता, जिससे शुरुआती जीवन में पोषण असंतुलन पैदा होता है। बच्चों में मोटापे का संबंध माताओं के स्वास्थ्य से भी जुड़ा हुआ है। यदि माता मोटापे की शिकार होती हैं, तो बच्चों में मोटापे का जोखिम बढ़ जाता है। गर्भावस्था के दौरान असंतुलित आहार, शारीरिक गतिविधियों की कमी और खराब जीवनशैली का प्रभाव सीधे बच्चे के स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। इसलिए विशेषज्ञ मानते हैं कि बच्चों में मोटापा रोकने के लिए माताओं के स्वास्थ्य और पोषण पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है।

अपराध, राजनीति और लोकतंत्र का अपमान

असल समस्या यह है कि भारतीय राजनीति में नैतिक जवाबदेही लगभग समाप्त हो चुकी है। दलों के लिए उम्मीदवार की छवि से ज्यादा उसकी जीतने की क्षमता महत्वपूर्ण हो गई है। अपराधी छवि वाला व्यक्ति यदि चुनाव जिताने की क्षमता रखता है, तो राजनीतिक दल उसे टिकट देने में बिल्कुल संकोच नहीं करते। यही कारण है कि चुनाव दर चुनाव आपराधिक पृष्ठभूमि वाले नेताओं की संख्या बढ़ती जा रही है।

लोकतंत्र का मूल आधार पारदर्शिता, जवाबदेही और नैतिकता है। लेकिन जब जनप्रतिनिधि ही चुनावी प्रक्रिया में कानून से खेलते हुए दिखाई दें, तो यह केवल एक व्यक्ति की गलती नहीं रहती, बल्कि पूरी राजनीतिक व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर देती है। नामांकन फार्म में आपराधिक रिकॉर्ड छुपाने के कारण उच्च न्यायालय द्वारा एक विधायक की सदस्यता रद्द किया जाना इसी सच्चाई को उजागर करता है कि भारतीय राजनीति में नैतिकता अब अपवाद बनती जा रही है। अदालत ने केवल कानून का पालन किया है, लेकिन राजनीतिक दल इसे भी भावनात्मक मुद्दों में बदलकर अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव लड़ने वाला कोई भी उम्मीदवार सबसे पहले जनता के सामने अपनी सच्चाई रखने के लिए बाध्य है। यही कारण है कि सर्वोच्च अदालत ने चुनावी सुधार के तहत उम्मीदवारों के लिए अपने आपराधिक रिकॉर्ड का खुलासा करना अनिवार्य किया था। इसका उद्देश्य स्पष्ट था—मतदाता यह जान सके कि वह जिस व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि बनाने जा रहा है, उसकी पृष्ठभूमि क्या है। लेकिन राजनीति ने इस व्यवस्था को भी एक औपचारिकता बनाकर रख दिया है। कई उम्मीदवार जानकारी छुपाने या अधूरी देने का जोखिम उठाते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास होता है कि राजनीतिक संरक्षण और सत्ता का दबाव उन्हें बचा लेगा।

यह बेहद चिंताजनक है कि आज देश में लगभग आधे सांसद और विधायक किसी न किसी आपराधिक मामले का सामना कर रहे हैं। यह स्थिति बताती है कि राजनीति में अपराध केवल घुसपैठ नहीं कर रहा, बल्कि धीरे-धीरे उसे नियंत्रित करने लगा है। कई मामलों में तो गंभीर आरोपों में जेल में बंद लोग भी चुनाव जीतकर विधानसभाओं और संसद तक पहुंच जाते हैं। यह लोकतंत्र की उस विडंबना को दिखाता है, जिसमें कानून बनाने वाले ही कानून के कठघरे में खड़े हैं। इस पूरे प्रकरण में सबसे दुर्भाग्यपूर्ण पहलू यह है कि अदालत के निर्णय को स्वीकार करने के बजाय उसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। कभी इसे सामाजिक अस्मिता से जोड़ा जाता है, तो कभी न्यायपालिका की मंशा पर सवाल उठाए जाते हैं। यह प्रवृत्ति केवल न्यायपालिका ही नहीं, बल्कि लोकतंत्र की पूरी व्यवस्था को कमजोर करती है। अदालत ने कानून के आधार पर फैसला दिया है। यदि कोई उम्मीदवार नामांकन में जानकारी छुपाता है, तो वह चुनावी प्रक्रिया के साथ धोखा करता है। ऐसे व्यक्ति को जनप्रतिनिधि बने रहने देना लोकतंत्र का मजाक ही होगा।

असल समस्या यह है कि भारतीय राजनीति में नैतिक जवाबदेही लगभग समाप्त हो चुकी है। दलों के लिए उम्मीदवार की छवि से ज्यादा उसकी जीतने की क्षमता महत्वपूर्ण हो गई है। अपराधी छवि वाला व्यक्ति यदि चुनाव जिताने की क्षमता रखता है, तो राजनीतिक दल उसे टिकट देने में बिल्कुल संकोच नहीं करते। यही कारण है कि चुनाव दर चुनाव आपराधिक पृष्ठभूमि वाले नेताओं की संख्या बढ़ती जा रही है। सिर्फ आपराधिक रिकॉर्ड सार्वजनिक कर देने से समस्या का समाधान नहीं होगा। लोकतंत्र को बचाने के लिए इससे आगे बढ़ने की आवश्यकता है। गंभीर अपराधों में आरोपित व्यक्तियों को चुनाव लड़ने से रोकने की व्यवस्था होनी चाहिए। यह तर्क दिया जाता है कि इससे कानून का दुरुपयोग हो सकता है, लेकिन हर व्यवस्था के दुरुपयोग की संभावना होती है। इस डर से सही व्यवस्था लागू न करना भी लोकतंत्र के साथ अन्याय है।

इसी तरह यह भी आवश्यक है कि यदि कोई मंत्री, मुख्यमंत्री या अन्य संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति किसी आपराधिक मामले में जेल जाता है, तो उसे तत्काल अपने पद से हटना पड़े। सत्ता में रहते हुए जेल से सरकार चलाना लोकतंत्र की मर्यादा के खिलाफ है। सत्ता का उद्देश्य कानून से ऊपर उठना नहीं, बल्कि कानून के प्रति जवाबदेह होना है। भारतीय लोकतंत्र आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है, जहां सुधार की सख्त जरूरत है। यदि राजनीति का अपराधीकरण इसी तरह बढ़ता रहा, तो लोकतंत्र केवल चुनावों तक सीमित होकर रह जाएगा। जनता के विश्वास की रक्षा करने के लिए राजनीतिक दलों, न्यायपालिका और सरकार—तीनों को मिलकर कठोर कदम उठाने होंगे। कानून से खिलवाड़ करने वाले नेताओं के लिए राजनीति शरणस्थली नहीं बन सकती। लोकतंत्र की रक्षा तभी संभव है जब राजनीति में प्रवेश करने वाले लोग कानून का सम्मान करना सीखें। वरना वह दिन दूर नहीं जब जनता का विश्वास इस व्यवस्था से पूरी तरह उठ जाएगा।

(नईदुनिया संपादकीय डेस्क)